छ कार E-ma	उत्तराखण्ड वन्यजीव हैल्पलाईन न०—18008909715(टोल फी) र्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती ail: dfonnagar-forest-uk@nic.in Telefax- 0135-2442052
सेवा में,	पत्रांक सं०ः २३७० / 12-1 दिनांक 17 / 03 / 2025
	अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, श्रीनगर मु0—कीर्तिनगर।
विषय :–	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत चिलेडी मणजूली मोटर मार्ग के किमी0 6 है0 मी0 2–4 से चीराखाल–सिरवाडी–काण्डा मोटर मार्ग हेतु 0.9975 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।
सन्दर्भ :	ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर जारी ई0डी0एस0 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा अपने पत्रांक– 08बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 72 / 2022 / एफ0सी0 दिनांक 25.02.2025 से प्रश्नगत प्रकरण पर निम्नलिखित कमियां इंगित कर ऑनलाईन उपलब्ध करायी गयी हैं, जिनका निराकरण किया जाना आवश्यक है–

S. No.	Query Description
1	As per the DSS analysis, the proposed diversion area comes to 4.00 ha instead of 0.9975 ha. Clarification in this regard shall be submitted.
2	Full KML file of proposed road shall be uploaded showing Forest area and Non-Forest area with different colors.
3	The proposed diversion area is 0.9975 ha (i.e. almost 1.00 ha). In this regard, a clarification from DFO is required after recheck the area and if it comes to 1 ha then CA shall be applicable over Non-Forest Land only.
4	The KML file of CA area is not uploaded, which is required to be done.
5	The CA scheme as per current rate shall be submitted.
6	Location of muck dumping sites on KML file shall be provided by User Agency.
7	SIR of DFO containing proposal details shall be submitted

अतः उपरोक्तानुसार ई0डी0एस0 संलग्न कर इस आशय से आपको प्रेषित की जा रही हैं कि प्रस्ताव में इंगित कमियों का निराकरण कर, बिन्दुवार निराकरण आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके। संलग्न–यथोपरि।

नाधिकारी, प्रभाग नरेन्द्रनगर वन प्रेसाग, मुनिकीरेती।



भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय / Ministry of Environment, Forest & Climate Change क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून / **Regional Office, Dehradun**



25 सुभाष रोड, देहरादून-248001/ 25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001 तूरभाष/ PHONE-0135-2650809, ई-मेल/ E-mall-moef.ddn@gov.In

पत्र सं0 8 बी/यू.सी.पी./06/72/2022/एफ.सी. सेवा में.

दिनांकः As per E-sign

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः जनपद- टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत चिनेड़ी-मणजुली मोटर मार्ग के कि0 मी0 06 कि0 मी0 2-4 से चैरींखाल-सिरवाड़ी-काण्डा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.9975 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online No. FP/UK/ROAD/151193/2022).

सन्दर्भः कार्यालय- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक 1449/12-

1: देहारादून: दिनांक 22-11-2024 (received online on 15.01.2025).

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 04.10.2022 द्वारा राज्य सरकार से कुछ सूचनायें चाही गई थी जिसका प्रतिउत्तर संदर्भित पत्र द्वारा प्रेषित किया गया है जिसमे कुछ त्रुटियाँ पाई गई है। राज्य सरकार निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक सूचनायें प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेः-

- 1. As per the DSS analysis, the proposed diversion area comes to 4.00 ha instead of 0.9975 ha. Clarification in this regard shall be submitted.
- 2. Full KML file of proposed road shall be uploaded showing Forest area and Non-Forest area with different colors.
- 3. The proposed diversion area is 0.9975 ha (i.e. almost 1.00 ha). In this regard, a clarification from DFO is required after recheck the area and if it comes to 1 ha then CA shall be applicable over Non-Forest Land only.
- 4. The KML file of CA area is not uploaded, which is required to be done.
- 5. The CA scheme as per current rate shall be submitted.
- 6. Location of muck dumping sites on KML file shall be provided by User Agency.
- 7. SIR of DFO containing proposal details shall be submitted.

उपरोक्त के क्रम में जवाब प्राप्ति के उपरांत ही प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

भवदीया.

Signed by Neelima Shah Date: 25-02-2025 13:04:08

(नीलिमा शाह, भा॰व॰से॰)

सहायक महानिरीक्षक वन (केन्द्रीय)

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव (वन) उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत्।